भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1776

जिसका उत्तर 21 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है।

30 भाद्रपद, 1942 (शक)

चीन के उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध

1776. एडवोकेट डीन कुरियाकोस :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा हाल में घोषित उत्पादन योजना (पीएलआई) का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों द्वारा कितना निवेश का वादा किया गया था तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे पहले की तुलना में हमारे देश को कितना प्रतिशत मूल्यवर्धन होगा;

(घ) क्या सरकार का विचार चीन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं उसके कलपुर्जों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) चीन में उत्पादित इन आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों की संभावित कमी को पूरा करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं तथा सरकार ने इस बारे में कोई प्रस्ताव यदि हो, किया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) : इलेक्ट्रॉनिकी मूल्य श्रृंखला में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और बड़े स्तर पर निवेश को आकर्षित करने के लिए दिनांक 20.03.2020 को बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन संबंद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) को मंत्रिमंडलीय अनुमोदन दिया गया और इसे दिनांक 01.04.2020 की राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-01042020-218990 के जरिए अधिसूचित किया गया । (https://www.meity.gov.in/esdm/pli लिंक पर उपलब्ध है।)

(ख) : पीएलआई योजना के अंतर्गत 5 वर्ष में लगभग 11,000 करोड़ रूपये के संचयी निवेश का अनुमान लगाया गया है।

(ग) : उपरोक्त पीएलआई योजना के परिणामस्वरूप, मोबाइल फोन के मामले में घरेलू मूल्यवर्धन में मौजूदा 15%-20% से 35%-40% और इलेक्ट्रॉनिकी संघटकों के लिए 35%-40% से 45%-50% तक की वृद्धि की संभावना है।

(घ) : सरकार ने चीन से इलेक्ट्रॉनिकी संघटकों और उसके भागों के आयात पर प्रतिबंध लगाना प्रस्तावित नहीं किया है।

(ङ): एकल बाजार/भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन को बढ़ावा देते समय भारत में इलेक्ट्रॉनिक संघटकों/कच्चे माल के आयात के स्रोतो को व्यापक आधार पर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि चीन में कोविड-19 प्रकोप जैसे कोई

अचानक/आकस्मिक/अनपेक्षित घटना घरेलू बाजार में इनवेंटरी की बड़े पैमाने पर कमी का कारण नहीं उत्पन्न करें। घरेलू इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने तीन नई योजनाएं अर्थात बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) इलेक्ट्रॉनिक संघटकों और अर्द्धचालकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना (एसपीईएस) और संशोधित इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 20) योजना, 1 अप्रैल, 2020 को शुरू की है, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक मूल्य श्रृंखला में निवेश को आकर्षित करने तथा बड़े स्तर के निवेशों को प्रोत्साहित करने तथा घरेलू मूल्य वर्धन और निर्यातों को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, वैकल्पिक आपूर्ति लाइनों को भी भारतीय दूतावासों, उद्योग संघो और घरेलू उद्योग के समन्वय में पता लगाया जा रहा है। घरेलू इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए उपरोक्त उल्लखित नई योजनाओं का लाभ उठाने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

*****